23.09.024

मु. नं. 19/2015

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को जवाब हेतु प्रर्याप्त अवसर देने बावजूद पेश नही किया अतः इनका जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा बिजरोल खेड़ा पटवार हल्का बिजरोल तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 358 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 367 रकबर 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 370 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 371 रकबा 4.42 हैक्टयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 5.62 हैक्टयर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.01 हैक्टयर खसरा नम्बर 379 रकबा 6.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 396 रकबा 2.67 हैक्टयर, खसरा नम्बर 423 रकबर 0.73 हैक्टयर, खसरा नम्बर 360 रकबा 1.65 हैक्टयर संयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई है। जिसमें में से 1.595 हैक्टयर भूमि के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी व प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को अपने हिस्से में अप्रार्थीगण वलपूर्वक मिलाकर माठो में रदो बदल कर रहे है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी तथा वृक्ष इत्यादी काटकर कच्चा-पक्का निर्माण करना चाहते है। तथा अजनबी व्यक्ति को बैचान कर प्रार्थी को भूमि से बेदखल करना चाहता है। प्रार्थीगण के पिता अनपढ व्यक्ति थे जिसका नाजायज फायदा उठाकर द्वितीय सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने गलत तरीके से कार्यवाही कर प्रार्थीगण को अपने 1/2 हिस्से अपने मालिकाना हक-हकूक अधिकारों से वंचित कर दिया । उसके बावजूद भी 1/2 हिस्से से कम भूमि दर्ज कर दी जिससे प्रार्थीगण खातेदारी भूमि हक प्राप्त करने के अधिकारी होने से दावा ठोस आधारो पर पेश कर दिया है। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को बिना बंटवाड़ा कराये अनजबी व्यक्ति को बैचान पर उतारू है। जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, ऐसी सूरत में अप्रार्थी को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जावें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी ने कुल केलकुलेशन करने में गंभीर गणितीय भूल की है उक्त सभी खसरान का बंटवाड़ा आज से कई वर्ष पूर्व द्वितीय सेटलमेन्ट के वक्त नवीन खसरा नम्बर सृजित होने से पूर्व ही सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष हो चुका है। तथा दोनों पक्षो की स्वतन्त्र सहमति एवं हस्ताक्षर/अगष्ठ निशान बंटवाड़ा के प्रति असहमति प्रकट नही की तथा मौके पर सेन्टलमेन्ट के वक्त हुए बंटवाड़े माफिक मौके पर शांतिपूर्वक से काबिज रहे। प्रार्थी ने विनाय वाद उत्पन्न होने की तिथि द्वितीय सेटलेन्ट के वक्त बताई है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पूर्णतया सारहीन,आधारहीन, बलहीन विधि के सुस्थापित सिद्वातों के विपरीत होने से सादर खारिज फरमावे।

हमनें वकील उभय [illegible] किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज [illegible] प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुवि[illegible] में प्रतीत नही होने से न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीक[illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.27 16:51:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner